24/02/2020

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।
(जिला सामान्य शाखा)

दूरभाष संख्या 06532–222072 ई.मेल gensectiongrd123@gmail.com

–: अतिअल्पकालीन निविदा की सूचना:–

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जनगणना 2020–21 हेतु अल्पाहार एवं भोजन आपूर्ति करने हेतु अतिअल्पकालिन निविदा का आमंत्रण किया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

क्रम	प्रकाशित निविदा की विवरणी	निविदा डालने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खोलने की तिथि	निविदा खोलने की समय	निविदा खोलने का स्थल
1	भोजन एवं अल्पाहार .	दिनांक 05.03.2020 समय 11.30 बजे पूर्वाह्न तक	दिनांक 05.03.2020	01.30 बजे अपराह्न	प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी सह उपायुक्त, गिरिडीह का कार्यालय प्रकोष्ठ

इच्छुक निविदादाता आमंत्रित निविदा से संबंधित शर्त, विशिष्टि की जानकारी तथा सामग्रियों की विस्तृत विवरणी गिरिडीह जिला के वेबसाईट https://giridih.nic.in/ से या कार्यालय सूचना पट पर देख सकते हैं।

24/02/2020
जिला जनगणना पदाधिकारी
सह अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।
24/2/2020

24/2/2020
प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी
सह उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक 448 / दिनांक 24/02/2020

प्रतिलिपि:– जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को उपरोक्त सूचना की सॉफ्ट एवं हॉडकॉपी सहित सूचनार्थ। अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक सामाचार पत्रों में करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि:– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी. गिरिडीह को सूचनार्थ। अनुरोध है कि आमंत्रित निविदा की विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराया जा रहा है जिसे जिला के वेबसाईट पर अविलंब अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि:– जिलास्तरीय क्रय समिति के सदस्य जिला जनगणना पदाधिकारी सह अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह/जिला नजारत उप समाहर्त्ता, गिरिडीह/जिला कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह/राज्य वाणिज्यकर पदाधिकारी, गिरिडीह/जिला लेखा पदाधिकारी, गिरिडीह/महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , गिरिडीह को आमंत्रित निविदा की प्रति सहित सूचनार्थ। अनुरोध है कि उपरोक्त आहूत क्रय समिति के बैठक में ससमय भाग लेने की कृपा की जाय।

अनु.:– यथोक्त।

24/02/2020
जिला जनगणना पदाधिकारी
सह अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।
24/2/2020

24/2/2020
प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी
सह उपायुक्त, गिरिडीह।

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

(जिला सामान्य शाखा)

दूरभाष संख्या 06532–222072 ई.मेल gensectiongrd123@gmail.com

'' भोजन एवं अल्पाहार हेतु अतिअल्पकालीन निविदा''

जनगणना 2020–21 के अंतर्गत आयोजित की जानेवाली विभिन्न कार्यक्रम यथा प्रशिक्षणादि, जनगणना कोषांग एवं चार्ज पदाधिकारी कार्यालय में भोजन एवं अल्पाहार आपूर्ति हेतु अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। वैसे निबंधित आपूर्तिकर्ता/फर्म जो क्रय समिति के शर्तो के अधीन उक्त कार्य करने के इच्छुक हो , वे अपना निविदा द्विलिफाफा पद्धति के तहत् निम्न शर्तो के अधीन डाल सकते हैं :–

निविदा की शर्त्तें :–

1. निविदादाताओं को निविदा द्विलिफाफा पद्धति के तहत् दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफों (लाह से सील) में टेकनिकल बीड (**Envelope "A"**) एवं वित्तीय बीड (**Envelope "B"**) अंकित हो को पुनः एक बडे लिफाफा में सील कर जमा करना होगा। उपरोक्त लिफाफा के ऊपर निविदादाता का स्पष्ट विवरणी जिसमें निविदादाता का नाम, पता एवं " **भोजन एवं अल्पाहार** " निविदा साफ–साफ बड़े–बडे शब्दों में लिखा रहना चाहिए। विवरण नही रहने की स्थिति में प्राप्त निविदा को निविदा प्रक्रिया में शामिल नही किया जाएगा। निविदा हेतु तकनीकी शर्तो को पूर्ण करने वाले निविदादाताओं का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

2. निविदा डालने की अंतिम तिथि दिनांक 05.03.2020 है। निविदा दिनांक 05.03.2020 के पूर्वाह्न 11.30 बजे तक जिला सामान्य शाखा, गिरिडीह में जमा लिया जायेगा तथा निविदा उक्त तिथि को ही अपराह्न 01.30 बजे प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी सह उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा गठित क्रय समिति के समक्ष प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी सह उपायुक्त, गिरिडीह के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी जिसमें निविदादाता को स्वयं या उनका कोई लिखित प्राधिकृत व्यक्ति को अल्पाहार/भोजन का नमूना के साथ उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

3. निविदादाताओं को GSTIN एवं आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित होना आवश्यक है । GST का माह दिसम्बर 2019 का रिटर्न दाखिल किया होना चाहिए।

4. निविदादाताओं को BLACKLISTED (काली सूची में दर्ज) नहीं होने का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

5. निविदादाताओं को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में रुपये 20,000/– (बीस हजार) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत बैंक से जिला नजारत उप समाहर्त्ता, गिरिडीह के

पदनाम से जारी तथा गिरिडीह में भुगतेय हो संलग्न करना आवश्यक होगा । बिना अग्रधनवाले निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।

6. निविदा दर सभी प्रकार के कर के साथ होना चाहिए। किसी भी अन्य कर का अलग से भुगतान नही किया जायेगा। आपूर्ति आदेश के अनुरूप आपूर्ति करना होगा । सामग्री आपूर्ति हेतु अलग से कोई भी हथालन /वाहन भाड़ा का भुगतान नही किया जायेगा। गिरिडीह जिलान्तर्गत जनगणना से संबंधित सभी प्रशिक्षण स्थल में प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत दर पर भोजन/अल्पाहार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

7. सामग्री की आपूर्ति जनगणना कोषांग द्वारा दिये गये आपूर्ति आदेश के आलोक में किया जाना है। साथ ही सामग्री की आपूर्ति आदि का प्राप्ति चालान पर प्राप्ति प्राप्त करते हुये विपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत ही विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

8. निविदा में स्वीकृत दर के अनुरूप आपूरित की गई सामग्री पर लागू श्रौत पर कर की कटौती करते हुए विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

9. निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार क्रय समिति /अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

10. आमंत्रित निविदा सामग्री की विवरणी अनुसूची क पर कुल 01 (एक) पृष्ठ में संलग्न है।

11. निविदा में स्थानीय निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

12. किसी सरकारी संस्थान/कार्यालय/चुनाव आदि में सफलतापूर्वक अल्पाहार/भोजन आदि आपूर्ति करनेवाले आपूर्तिकताओं को निविदा में प्राथमिकता दी जायेगी।

13. न्यूनतम स्वीकृत दर (L1) पर एक से अधिक फर्मो को कार्यादेश निर्गत किया जा सकता है। इसमें सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं दर्ज की जायेगी। एक से अधिक निविदादाताओं का दर न्यूनतम तथा बराबर की स्थिति में अंतिम निर्णय का अधिकार निविदा समिति को रहेगा।

14. भुगतान हेतु विपत्र GST स्लेब (यदि लागू हो तो) के अनुसार उपलब्ध कराना तथा विपत्र में सामग्री का HSN No. का उल्लेख करना अनिवार्य होगा
(वर्तमान में लागू स्लेब या अन्य स्लेब के अनुरूप)
@0%,@0.25%,@3%,@5%,@12%,@18% & @ 28% प्रत्येक कर हेतु अलग-अलग

15. उल्लेखनिय है कि भारत के रजिस्ट्रर जनरल का कार्यालय, का पत्रांक **9/59/2019-CD(CEN)** दिनांक 10.01.2020 द्वारा प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अल्पाहार/भोजन आदि के लिए अधिकतम 150 रूपया दर प्रतिदिन निर्धारित किया गया है! अतः प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित अल्पाहार/भोजन की विवरणी के वित्तीय बिड में इस बात का ध्यान रखना अपेक्षित है। प्रशिक्षण प्रखण्ड स्तर/अनुमंडल स्तर/जिला स्तर पर किया जायेगा।

16. किसी भी विवाद का निपटारा गिरिडीह न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही मान्य होगा।

17. यदि निविदा स्वीकृत होने के उपरांत निविदादाता द्वारा ससमय सामग्री आपूर्ति नही किया जाता है तो जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्वीकृत दर पर ही सामग्री निविदा में द्वितीय या तृतीय स्थान पर रहे निविदादाता से सामग्री का क्रय किया जायेगा।

(क) टेकनिकल बीड वाला लिफाफा (Envelope A)

(i) वित्तीय वर्ष 2016–2017, 2017–2018 एवं 2018–2019 का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र एवं पेन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।

(ii) GST निबंधित प्रमाण–पत्र की स्वच्छ स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति तथा माह दिसम्बर 2019 का दाखिल रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।

(iii) Blacklist /काली सूची में नाम दर्ज नही होने संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति।

(iv) अग्रधन की राशि का डिमांड ड्रॉफ्ट मूल में

(v) कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो)

(ख) वित्तीय (दर) बीड वाला लिफाफा (Envelope B)

(i) इस लिफाफा में सिर्फ सामग्रियों का दर उपलब्ध कराना है।

जिला जनगणना पदाधिकारी
सह अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।

प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी
सह उपायुक्त, गिरिडीह।

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

(जिला सामान्य शाखा)

दूरभाष संख्या 06532–222072 ई.मेल gensectiongrd123@gmail.com

भोजन/अल्पाहार की सूची

क्रम	सामग्री की विवरण	दर(सभी कर सहित) (निविदादाता द्वारा भरा जायेगा)	अभ्युक्ति
	प्रशिक्षण स्थल हेतु (निविदा शर्त संख्या 15 के अनुरूप अधिकतम दर 150.00 रूपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)		
1	(क) नाश्ता– (01 पीस समोसा + 01 कटलेट/टीप कचौडी + 01 खीर कदम +01 काजू बर्फी + भुजिया (5 रूपया पैकेट वाला) या कचौडी–4 पीस, जलेबी–2 पीस, सब्जी– आवश्यकतानुसार (ख) **भोजन**–रोटी /पूरी– 2 पीस + 1/2 प्लेट चावल+दाल 1/2 प्लेट +सब्जी 1/2 प्लेट +भुजिया आवश्यकतानुसार +अचार (ग) चाय दो बार (घ) पानी साधारण (जार वाला आवष्यकतानुसार)		प्रति व्यक्ति
	अन्य कार्यो हेतु		
1	नाश्ता– (01 पीस समोसा + 01 कटलेट/टीप कचौडी + 01 खीर कदम +01 काजू बर्फी + भुजिया (5 रूपया पैकेट वाला)		प्रति व्यक्ति
2	**भोजन**–रोटी /पूरी+1/2 प्लेट चावल+दाल+1सब्जी(पनीर) +भुजिया+पापड़+1मीठा+सलाद+अचार		प्रति पैकेट
3	पानी बोटल 1 लीटर (Bisleri/Kinley)		प्रति बोटल
4	पानी बोटल 1/2 लीटर (Bisleri/Kinley)		प्रति बोटल
5	पानी साधारण 20 लीटर का जार डिस्पेंसर सहित		प्रति जार
6	पानी बोटल ठंडा 20 लीटर का जार		प्रति जार
7	चाय प्रति कप		प्रति कप
8	कॉफी प्रति कप		प्रति कप

24/2/2020 24/2/2020

जिला जनगणना पदाधिकारी
सह अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।

प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी
सह उपायुक्त, गिरिडीह।